बैद्यनाथ यादव, (भा०प्र०से०)
जिला पदाधिकारी, अररिया

समाहरणालय, अररिया
(जिला नजारत प्रशाखा)

दूरभाष सं. : 06453-222001 (का0)
: 06453-222102 (आ0)
फैक्स सं. : 06453-222124
email Id : dm-araria.bih@nic.in

निविदा सूचना

समाहरणालय, अररिया में पदस्थापित वरीय उप समाहर्त्ताओं एवं अन्य जिलास्तरीय पदाधिकारियों के कार्यालयीय प्रयोग के लिए भाड़े पर छोटे वाहन (यथा–टाटा विक्टा, टाटा सूमो, बोलेरो सफारी, इंडिगो, स्कॉर्पियो, इन्नोवा, जाईलो, एस0यू0वी0 एवं अन्य चार पहिया वाहन) की आवश्यकता है। सफेद रंग की गाड़ी एवं 2016–17 मॉडल को प्राथमिकता दी जायेगी। ईच्छुक वाहन मालिक/ऐजेंसी अपनी वाहन के सभी आवश्यक कागजातों के साथ अपना निविदा मुहरबन्द लिफाफे में जिला नजारत शाखा में दिनांक 12.03.2019 को 01:00 बजे अपराह्न तक दे सकते हैं। निविदादाता तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग सीलबन्द लिफाफा में देंगे।

तकनीकी निविदा की शर्तेः–

1. वाहन व्यवसायिक रूप से निबंधित हो।
2. वाहन का बीमा/सेलटेक्स/पथकर का अद्यतन कर भुगतान होना चाहिए।
3. वाहन का अद्यतन कर भुगतान होना चाहिए।
4. वाहन तीन वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
5. कोई भी निविदा निर्धारित समय–सीमा के बाद स्वीकार नहीं किया जायेगा।
6. निविदादाता को निविदा के साथ मो0–20,000/–(बीस हजार रूपये) मात्र का बैंक ड्राफ्ट, जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत हो एवं जिलाधिकारी, अररिया के पक्ष में देय हो, संलग्न करना अनिवार्य है।

सामान्य शर्तेः–

01. भाड़े पर वाहन 12 महीने के लिए लिया जायेगा। वाहन का दैनिक भाड़ा एवं मासिक भाड़ा (इंधन सहित एवं इंधन रहित) अलग–अलग अंकित करना आवश्यक होगा। ए0सी0 एवं नन ए0सी0 गाड़ी की निविदा का दर भी अलग–अलग देना होगा।

02. वाहन की ईंधन की खपत के बारे में प्रति लीटर/किलोमीटर का अनुपात अंकित किया जाना आवश्यक होगा।

03. वाहन से संबंधित ऑनरबुक एवं चालक का ड्राईविंग लाईसेंस से संबंधित अद्यतन कागज व भुगतान का टोकन अथवा रसीद आदि के कागजातों की स्व–अभिप्रमाणित छाया प्रति जमा करना आवश्यक होगा। भाड़े पर वाहन लिये जाने के बाद 15 दिन के भीतर वाहन मालिक को वाहन का फिटनेस प्रमाण–पत्र देना अनिवार्य होगा।

04. वाहन मालिक को प्रतिमाह 1500 कि0मी0 का परिचालन करना होगा। महिने में वाहन का 1500 कि0मी0 का परिचालन अधिक होने की स्थिति में ईंधन की आपूर्ति लॉगबुक के आधार पर किया जायेगा। यदि किसी कारणवश वाहन का परिचालन महिने में 1500 कि0मी0 से कम होता है तो वह व्ययगत नहीं होगा, बल्कि वाहन मालिक को अगले माह परिचालन कराना होगा।

05. चयनित वाहन मालिकों को संबंधित पदाधिकारी/भुगतान कर्ता के साथ एक एकरारनामा हस्ताक्षरित करना आवश्यक होगा, जिसके आधार पर ही भाड़े का भुगतान नियामानुसार किया जायेगा।

06. वाहन 24 घंटे जिला प्रशासन/संबंधित कार्यालय प्रधान के अधीन रहेगा। संबंधित कर्यालय प्रधान से सहमति प्राप्त कर ही वाहन में सरकारी बोर्ड लगायेंगे। वाहन के प्रयोग नहीं किये जाने अथवा एकरारनामा रद्द होने के बाद वाहन में सरकारी बोर्ड लगे रहने के पकड़े जाने पर इसे अन्यथा गंभीर अपराध मानते हुए कड़ी कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

07. वाहन में किसी प्रकार की खराबी होने पर दूसरा अन्य वैकल्पिक चार पहिया वाहन तुरन्त उपलब्ध कराते हुए इसकी मरम्मति भी करायेंगे अन्यथा ऐसा नहीं करने पर उस माह के भाड़े का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा जमानत की राशि जब्त करते हुए अन्य कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

08. वाहन के चालक को भुगतान वाहन मालिक द्वारा नियमित रूप से किया जायेगा।

09. वाहन का लॉगबुक खोला जायेगा, जिसका रख–रखाव वाहन चालक द्वारा किया जायेगा। लॉगबुक में वाहन प्रयोग करने वाले पदाधिकारी द्वारा दूरी (कि0मी0 में) अंकित कर हस्ताक्षर लिया जायेगा, जिसके आधार पर नियामानुसार ईंधन दिया जायेगा।

10. वाहन के संबंधित सभी करों को ससमय वाहन मालिक को भुगतान करना होगा। उपर्युक्त शर्तों के अनुरूप न्यूनतम Bid देनेवाले के साथ एकरारनामा किया जायेगा।

11. निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा। किसी भी वाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।

12. निविदादाताओं द्वारा दिनांक 12.03.2019 को 01:00 बजे अपराह्न तक जिला नजारत प्रशाखा, अररिया में सीलबंद लिफाफा प्राप्त किया जायेगा, जिसे उसी दिन 4:00 बजे अपराह्न में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में खोला जायेगा। निविदा खोलने के समय निविदा दाता स्वयं या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

13 इसे जिला के वेबसाईट **www.araria.bih.nic.in** पर एवं जनसम्पर्क विभाग के वेबसाईट **www.prdbihar.gov.in** पर भी देखा जा सकता है।

जिला पदाधिकारी,
अररिया।